मोती डूंगरी मंदिर के पीछे बहुमंजिला इमारत बनाने का मामला हाईकोर्ट में उखड़ा!

40 फीट से भी कम चौड़ी सड़क पर बहुमंजिला इमारत के निर्माण की अनुमति क्यों?

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर। मोती डूंगरी मंदिर के पीछे स्थित मोती डूंगरी एक्सटेंशन तथा तिलक नगर एक्सटेंशन पर तीन प्लॉट बी-124, बी-49 और बी-3 पर बहुमंजिला इमारतों के निर्माण का विवाद हाईकोर्ट उखड़ा है। मामले में विवाद है कि मोती डूंगरी मंदिर के सामने और ना ही मोती डूंगरी मंदिर के पीछे जुड़ी हुई सड़क, मोती डूंगरी एक्सटेंशन, दोनों ही सड़कें 60 फीट चौड़ी नहीं हैं, परंतु फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन ने बिल्डरों की मदद करते हुए उक्त सड़क पर बहुमंजिला इमारत के निर्माण की अनुमति दे दी। इस मामले में दो याचिकाकर्ता जो इस सड़क पर रहते हैं, की याचिका हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष लंबित है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इस मामले में दो जून 2023 को इन तीन इमारतों के संदर्भ में वस्तुस्थिति बनाये रखने के आदेश दिये थे। फिर एकलपीठ के आदेश की अपील पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 30 अक्टूबर 2023 को आदेश दिये थे कि इस मामले की पूर्ण सुनवाई के बाद ही आदेश पारित करेगी, परंतु तब तक इन तीन बहुमंजिला इमारतों का भविष्य अदालत के अंतिम आदेश पर ही निर्भर करेगा। उल्लेखनीय है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने अखबार में इश्तिहार दिये हैं कि हाईकोर्ट के अंतिम फैसले तक कोई भी व्यक्ति इमारतों में फ्लैट ना खरीदें, ताकि मामले में 'थर्ड पार्टी' अधिकार प्रभावित ना हों।

हैरानी की बात है कि इस मामले में इस सड़क पर रहने वाले दो निवासी, प्रीति असावा और अरूणा स्वामी, ने प्रशासन व निगम को शिकायत की गई कि उसके द्वारा 'बिल्डिंग बायलॉज' तथा हाईकोर्ट द्वारा दिये गये निर्णयों के खिलाफ जाते हुए जब 40 फीट से भी कम चौड़ी सड़क पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण हो रहा है, तब भी उनकी शिकायतों को अनसुना किया गया। जब यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि उसके घर के नक्शे के अनुसार उसके घर के सामने लगभग 40 फीट की सड़क है। याचिकाकर्ता ने अदालत को यह भी बताया कि गुलाब कोठारी मामले में दिये गये निर्णय हाईकोर्ट ने स्वयं कहा है कि 60 फीट से कम चौड़ी सड़क पर बहुमंजिला इमारतें नहीं बनाई जा सकती क्योंकि इससे सड़क पर पार्किंग की समस्या उत्पन्न होती है और उक्त क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के लिये भी सड़क उपयोग में बाधा उत्पन्न होती है। गौरतलब है कि गुलाब कोठारी मामले में रिहायशी इलाकों में जहां सड़कें पतली होती हैं, वहां बहुमंजिला इमारतें बनाने की अनुमति दिये जाने के खिलाफ स्पष्ट आदेश भी हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से उक्त सड़क की वास्तविक स्थिति अदालत के समक्ष स्पष्ट करने के लिये उक्त सड़क का एक प्राईवेट पार्टी के मार्फत पी.टी. सर्वे भी कराया जिसके अनुसार सड़क की चौड़ाई औसतन 35.123 फीट है और कई भाग में सड़क की चौड़ाई केवल 20 फीट है। जिसके बावजूद प्रशासन ने इस सड़क पर 70 से 80 फीट ऊंची इमारत के निर्माण की अनुमति दे दी। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता द्वारा इसी सड़क पर स्थित एक अन्य प्लॉट, बी-6 ए, के नक्शे को, जिसे जयपुर विकास प्राधिकरण ने मंजूरी दी है, अपनी याचिका के साथ संलग्न किया है। इस नक्शे के अनुसार भी प्लॉट के सामने के स्थित सड़क की चौड़ाई 30 फुट ही है। परंतु फिर भी राज्य सरकार और नगर निगम की ओर से बार-बार अदालत में कहा गया है कि उक्त सड़क की चौड़ाई 60 फीट से भी कम है। उक्त मामले में कई महीनों से सुनवाई नहीं हो पायी है। जिसके खिलाफ 18 मार्च 2024 को याचिकाकर्ता ने जल्द सुनवाई के लिये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई के आदेश भी पारित किये।

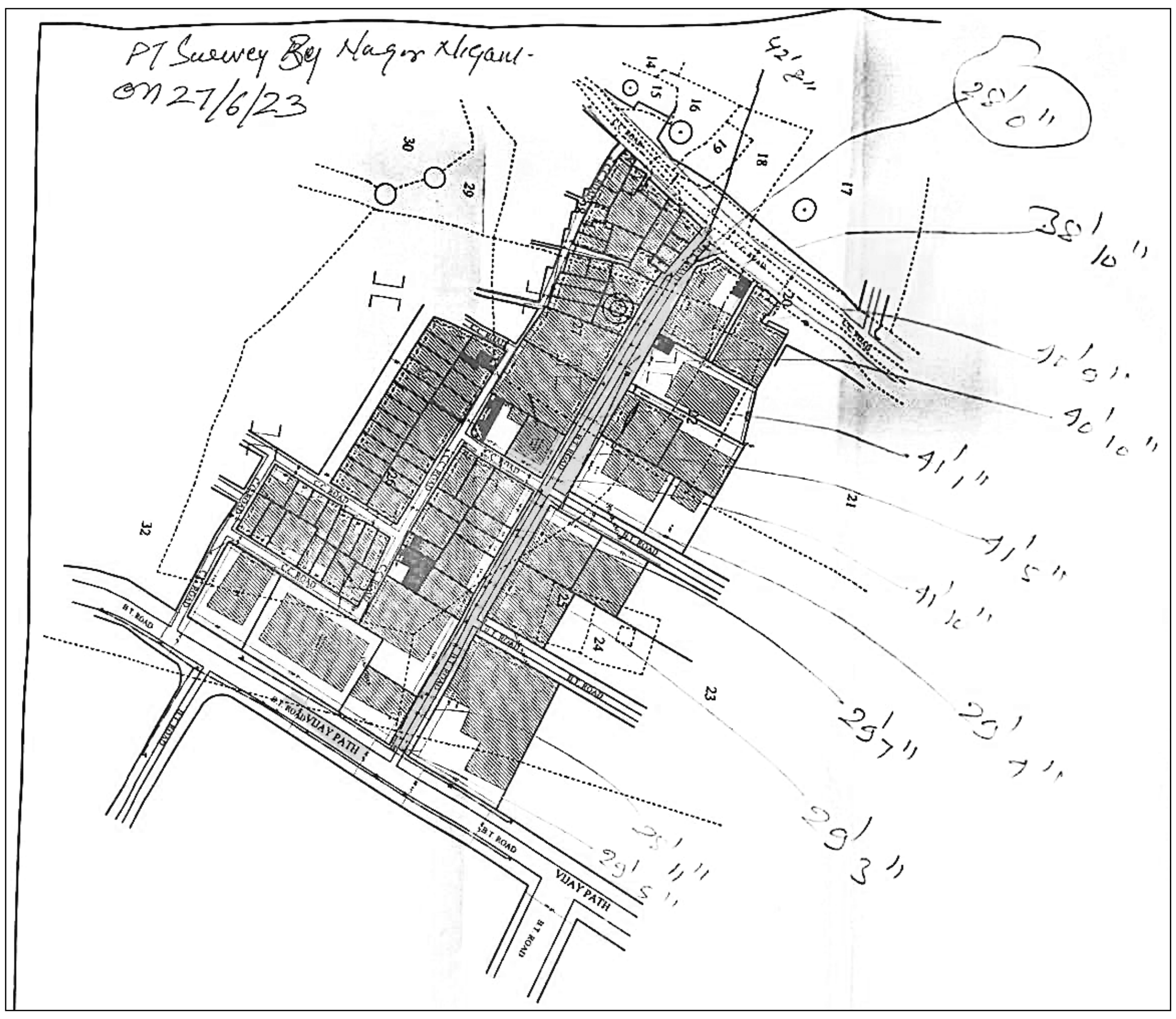

प्राईवेट पार्टी के मार्फत पी.टी. सर्वे कराया गया, जिसके अनुसार सड़क की चौड़ाई औसतन 35.123 फीट है।

- जैसा कि विदित है कि हाईकोर्ट के आदेश व कानून के अनुसार 60 फीट से कम चौड़ी सड़क पर बहुमंजिला इमारत बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती
- इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा हाईकोर्ट में याचिका लंबित है, जहां यह तथ्य भी पेश किया गया है कि पी.टी.सर्वे में सड़क की चौड़ाई 35 फुट के आसपास है फिर भी राज्य सरकार और नगर निगम द्वारा बार-बार यह अलाप गाया जा रहा है कि सड़क 60 फीट से भी अधिक चौड़ी है
- इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने अखबार में इश्तिहार दिये हैं कि हाईकोर्ट के अंतिम फैसले तक कोई भी व्यक्ति इमारतों में फ्लैट ना खरीदें, ताकि मामले में 'थर्ड पार्टी' अधिकार प्रभावित ना हों
- सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को आदेश दिये हैं कि हाईकोर्ट इस मामले में जल्द सुनवाई करे

फर्जी डिग्री मामले में सरकारी कर्मचारी एस.ओ.जी. की रडार पर

इन सरकारी कर्मचारियों के विभागों को एसओजी ने नोटिस व सूचना देना शुरू कर दिया है

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट के माध्यम से सरकारी लगने वाले एक दर्जन कर्मचारियों को चिन्हित कर लिया है। इन सरकारी कर्मचारियों के विभागों को एसओजी ने नोटिस या सूचना देना शुरू कर दिया है। चिन्हित इन कर्मचारियों की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। एसओजी इस मामले में प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में सक्रिय रैकेट के सदस्यों को लेकर जानकारी जुटा रही है।

उप महानिरीक्षक (डीआईजी) परिस देशमुख ने बताया कि फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट के माध्यम से सरकारी नौकरी लगे कर्मचारियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। गिरोह से मिली जानकारी के आधार पर उन सरकारी कर्मचारियों के विभागों को सूचना दी जा रही है। जल्द ही इन सभी सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इसके लिए आवश्यक सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस गिरोह के सदस्य कई विश्वविद्यालयों में फैले हुए है उनका भी गिरोह के सदस्यों से पूछताछ कर पता लगाया जा रहा है। फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट के माध्यम से सरकारी नौकरी लगने वाले लोगों की संख्या थ्री डिजिट में है। फिलहाल इनकी तस्दीक की जा रही है। इसके लिए पकड़े गए गैंग के सदस्यों से जानकारी और सबूत लिए जा रहे है। सुभाष पूनिया, परमजीत और प्रदीप के घर की तलाशी ली जा चुकी है। बाकी गैंग के सदस्यों के घर की भी जल्द तलाशी ली जाएगी। पूर्व में ली गई तलाशी में गैंग के सदस्यों के यहां से कई अहम सबूत मिले है। इनकी तस्दीक की जा रही है।

- मामले में एओजी अन्य राज्यों में गिरोह के सदस्यों को लेकर जानकारी जुटा रही है।

गौरतलब है कि शनिवार को एसओजी ने पूर्व में गिरफ्तार प्रदीप कुमार शर्मा निवासी पुगलसर बास सरदारशहर चूरु के घर पर ली। तलाशी में मिले दस्तावेजों की जांच की जा रही है। तलाशी में उसके घर पर 20 ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की मार्कशीट, ओपीजेएस की माइग्रेशन सर्टिफिकेट 25 खाली और 32 भरे हुए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट 66 खाली और 8 भरे, ओपीजेएस विश्वविद्यालय के चरित्र प्रमाण पत्र 40 खाली और 5 भरे हुए, तीन विश्वविद्यालयों की 7 जाली मुहर, परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं 44 खाली 30 भारी हुई, चार डायरी जिसमें डिग्री के संबंध में लाखों रुपए के लेन देन का हिसाब, दो लाख तीन हजार रुपए नगद, लैपटॉप जिसने अभ्यर्थियों का डेटा और हिसाब किताब अंकित है का हार्ड डिस्क मिली थी। आरोपी प्रदीप की स्वयं की एमएससी, एमबीए, पीएचडी इन कम्प्यूटर साइंस की डिग्री के अलावा संपति के दस्तावेज जब्त किए गए।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में अब तक सुभाष पूनिया (52) निवासी बेरासर घुमाना, राजगढ़ (चूरू), उसके बेटे परमजीत हाल पीटीआई राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बसेड़ी (धौलपुर), प्रदीप शर्मा निवासी सरदार शहर चूरू, बीकानेर सीबीईओ ऑफिस में यूडीसी मनदीप सांगवान, उच्च माध्यमिक स्कूल देशनोक (बीकानेर) में यूडीसी जगदीश और फर्जी डिग्री प्रिंट करने वाले राकेश कुमार निवासी सरदारशहर (चूरू) को गिरफ्तार किया जा चुका है।

बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज में हुआ भाजपा प्रबुद्धजन संवाद कार्यक्रम

जयपुर। शनिवार को जयपुर के बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज में भाजपा के प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ द्वारा प्रबुद्धजन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सड़क सुरक्षा एवं नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जनरल वी. के. सिंह सहित प्रदेश संयोजक प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ राजेन्द्र सिंह शेखावत, सह संयोजक मनोज शर्मा, आशुतोष पंत, पूर्व आईपीएस बी. एल सोनी, रोजगार विभाग के पूर्व निदेशक महेश शर्मा, बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर डॉ. संजय बियानी, चैयरमेन डॉ. राजीव बियानी सहित गणमान्य जन मौजूद रहे।

नागरिक उड्डयन मंत्री एवं पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से देश में आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व से अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान एवं गौरव बढा है।

पद्म पुरस्कार से सम्मानित कलाकारों ने दिया भाजपा को समर्थन

जयपुर। भाजपा मुख्यालय पर सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रकोष्ठ के संयोजन में आज पदम पुरस्कारों से सम्मानित कला एवं सांस्कृतिक क्षेत्र की विभिन्न हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा को समर्थन दिया, और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। इस दौरान सभी कलाकारों का भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक ओंकार सिंह लखावत, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया ने स्वागत किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रकोष्ठ के संयोजक मनीष पारीक, सह-संयोजक डॉ. चन्द्रदीप हाडा और सह-संयोजिका शालिनी शर्मा मौजूद भी मौजूद रही।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि हम सभी के लिए हर्ष एवं सौभाग्य का विषय है। हिंदुस्तान में आम चुनाव होने जा रहे हैं। इस मौके पर विभिन्न राजनैतिक दलों की राय भी सामने आ रही है। कला एवं संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों ने पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है। इन सभी लोगों ने अपनी कला के माध्यम से देश का सांस्कृतिक गौरव बढ़ाया है। भाजपा पार्टी सौभाग्यशाली है जो इन सभी लोगों का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मिल रहा है। पद्मभूषण पंडित विश्वमोहन भट्ट ने संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन हमारे लिए अभूतपूर्व दिवस है। हम किसी दलगत राजनीती के लोग नहीं हैं, ना ही हमारा राजनीती में चुनाव लड़ने का उद्देश्य है। हम सभी लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का गौरव बढ़ते देख रहे हैं, भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ है। मोदी विकसित भारत संकल्प 2047 के विजन के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों की कला को सम्मान मिला है सभी ने हमें बहुत मान और सम्मान दिया है।

पदम श्री विश्व प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा ने संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी कलाकार भले ही अलग-अलग क्षेत्र से आते हैं, लेकिन हम सभी एक देश के नागरिक हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमें पदम श्री पुरूस्कार से नवाजा और मान सम्मान दिया इसके लिए हम उनके आभारी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश का मान बढ़ा है, विदेशों में आज भारत के सांस्कृति गौरव की चर्चा होती है।

आई.पी.एस. रूप सिंह मीणा सहित 235 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली

जयपुर, (का.सं.)। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जनकल्याणकारी नीतियों और अंत्योदय की भावना पर विश्वास जताते हुए आज विभिन्न राजनैतिक दलों, सामाजिक संगठनों और सेवानिवृत प्रशासनिक अधिकारियों सहित कुल 235 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

इस दौरान ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक अरूण चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया ने पूर्व प्रत्याशी गंगापुर सिटी सी. एल सैनी, रिटायर्ड आईपीएस रूप सिंह मीणा, रिटायर्ड एयर कमाडोर अजय सिंघल, शिवराज सिंह, प्रदेशाध्यक्ष तमरावती राजपूत सभा, नरेंद्र शर्मा प्रत्याशी जयपुर शहर लोकसभा 2024 राष्ट्रीय सनातन पार्टी, सुभाष जोशी, भूपेश सिंह राजावत, सुशील जैन प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस, शिव सिंह पालावत, राजेंद्र शर्मा रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर डीएलबी, रूपेश कांत व्यास, दीपक सिंह नरूका, रवि शर्मा, रिंकू अग्रवाल, जगदीश नारायण रेगर पूर्व प्रधान चाकसू, नवीन शर्मा और कंचन जांगिड़ को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। आज भाजपा के प्रति देश के सभी वर्गों में एक संतोष और विश्वास का भाव है।

नम्बर मिलाइए 9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

निलम्बन वापस लेने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म

एसीएस हैल्थ शुभ्रा सिंह ने हड़ताली रेजिडेंट डॉक्टर्स से की वार्ता

राजधानी जयपुर में छह रेजिडेंट को बहाल करने की मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने रविवार को सुबह सरकार और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ बलि का बकरा रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया।

चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज प्रशासन एवं जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रतिनिधियों के साथ चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में वार्ता की।

- व्यापक जनहित एवं रेजीडेंट चिकित्सकों के भविष्य के दृष्टिगत एसीएस ने निलंबन वापसी के निर्देश दिए
- हालांकि मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
- साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं करने की हिदायत भी दी

जयपुर। राजधानी जयपुर के एसएमएस सहित प्रदेश के सातों मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल निलम्बित छह रेजिडेंट को बहाल करने के आदेश जारी होने के बाद रविवार को खत्म हो गई। रात करीब दस बजे रेजिडेंट डॉक्टर्स अस्पतालों में काम पर वापस लौट आए।

कांवटिया अस्पताल परिसर में एक महिला का प्रसव होने के मामले में एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने तीन रेजीडेंट एवं एक सीनियर रेजीडेंट चिकित्सक को निलंबित कर दिया था। इससे पहले एसएमएस अस्पताल में मरीज को गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाने के मामले में भी दो रेजीडेंट को निलंबित किया था। इसके विरोध में करीब एक सप्ताह पहले रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे। रेजिडेंट चिकित्सकों के हड़ताल पर चले जाने से मरीजों को असुविधा हो रही थी।

चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने आमजन के हित एवं रेजिडेंट डॉक्टर्स के भविष्य को ध्यान में रखते हुए रविवार को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज प्रशासन एवं जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में वार्ता की। वार्ता के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जार्ड एवं अन्य चिकित्सक संघों के प्रतिनिधियों के साथ समझाइश करते हुए कहा कि हड़ताल के कारण अस्पतालों में मरीजों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सा एक नोबल प्रोफेशन है और चिकित्सक का प्रथम दायित्व नागरिकों की जीवन रक्षा है। ऐसे में उन्हें तत्काल प्रभाव से काम पर वापस लौटना चाहिए।

सिंह ने कहा कि आमजन बड़ी उम्मीद और आशा के साथ अस्पताल आते हैं। वे चिकित्सक में ईश्वर का रूप देखते हैं। ऐसे में चिकित्सक का भी दायित्व बनता है कि वह बिना किसी लापरवाही के पूरी निष्ठा के साथ रोगी को बेहतर से बेहतर उपचार दे। विगत दिनों जिस तरह की लापरवाही सामने आई, चिकित्सा के प्रोफेशन में ऐसी लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जीवन रक्षा को सर्वोच्च ध्येय मानते हुए भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने चिकित्सक संघों के प्रतिनिधियों द्वारा रेजिडेंट चिकित्सकों के भविष्य को ध्यान में रखने की मांग पर चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज प्रशासन को नियमानुसार कार्रवाई जारी रखते हुए रेजीडेंट डॉक्टर्स का निलंबन वापस लेने तथा कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही, हड़ताल अवधि को डे ऑफ राजकीय अवकाशों में समायोजित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि रेजिडेंट चिकित्सकों के भविष्य को देखते हुए उनकी वाजिब मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव की समझाइश के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मरीजों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया और हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की।

वार्ता के दौरान चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इकबाल खान, संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा जगजीत सिंह मोगा, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. राजीव बगरहट्टा, अतिरिक्त प्रधानाचार्य डॉ. भारती मल्होत्रा, डॉ. राकेश जैन, डॉ. बीएल कुमावत, डॉ. मोनिका जैन, जार्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश कुमावत सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं इससे पहले सुबह रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सरकार और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ बलि का बकरा रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया।

नाम परिवर्तन

मैंने मेरा नाम अनिल कुमार से बदलकर अनिल शर्मा रख लिया है। अतः भविष्य में मुझे अनिल शर्मा के नाम से जाना जावे पता 123/299, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर जयपुर राजस्थान

विवाहोपरान्त मैंने अपना नाम Mushrrat Bano से बदलकर Musarrat Bano धर्मपत्नी वसीम खान निवासनी 6/B, घोडा निकास रोड, शिकारियों की मोरी, रामगंज, जयपुर रख लिया है भविष्य में मुझे MUSARRAT BANO के नाम से जाना पहचाना जावें।

I JC No.207959W Ex sub Gajadhar Sharma S/o Shri Shreedhar Lal Sharma R/o D-149 Jagdamba Nagar Heerapura (dhawas Road) Jaipur have changed my wife name from GEETA DEVI is wrong entered in service record as to GEETA SHARMA vide affidavit dated 8 apr 2024 before district notary Jaipur

I have changed my name from Vikas Sunar to Vikash Soni S/o Babu Lal Soni for all purposes R/o Green vista apartment Flat No.103, D-242 Devi marg Near Shahpura Hotel Banipark Jaipur

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4

न्यायालय A.D.J. No.1 स्थान हिण्डौन सिटी राजकुमार सोनी विरूद्ध नीलम शर्मा वाद/प्रार्थना पत्र U/S 9 हिन्दू विवाह अधि. प्रार्थना-पत्र संख्या 132/2023 सन्
नाम नीलम वर्मा पुत्री स्व. रतन कुमार वर्मा पत्नि राजकुमार सोनी उर्फ सोनू सोनी निवासी सी-89 केदार नगर थाना शाहगंज आगरा (यू.पी.) उक्त आवेदक ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि अत: आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 15.4.2024 को 10 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज ता. 12.2.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई। **आज्ञा से**
(मुहर) **सीनियर रीडर**
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं.-1, हिण्डौन सिटी

प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन आम सूचना | **जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 15 दिवस में मय दस्तावेज सम्बन्धित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-5/2024/डी-601 दिनांक : 12.04.2024

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान-2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1.	05	श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री गोपाल लाल उर्फ गोपी लाल	श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री गोपाल लाल उर्फ गोपी लाल	196	आवासीय	खुदाबादी सोनार को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की योजना पद्मावती कॉलोनी-।।	479.62	मिश्रित भू-उपयोग	मिश्रित भू-उपयोग हेतु

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-5/2024/डी-602-603 दिनांक : 12.04.2024

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान-2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1.	05	श्री त्रिलोक चन्द चौधरी पुत्र श्री पूरण मल चौधरी	श्री त्रिलोक चन्द चौधरी पुत्र श्री पूरण मल चौधरी	189	आवासीय	खुदाबादी सोनार को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की योजना पद्मावती कॉलोनी-।।	548.37	मिश्रित भू-उपयोग	मिश्रित भू-उपयोग हेतु
				190			400.00		

उपायुक्त जोन-5